(9)

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 170/XXX(2)/2011

देहरादूनः दिनांकः 01 जून, 2011

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या /XXX(2)/2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)

संयुक्त सचिव।

संलग्नः यथोक्त

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 170 /XXX(2)/2010
देहरादूनः 01 जून , 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होंगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियामवली में–

(क) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ख) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग"** से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हो;

(ङ)**"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण।

4.(1) **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–**

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) **प्रशासनिक अधिकारी–**

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) **मुख्य सहायक–**

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) **प्रवर सहायक–**

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहॉ–जहॉ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहॉ–वहॉ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह),
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XXX(2)/2011, dated. ,2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Karmik Section-2
No. 170 /XXX(2)/2011
Dehradun: Dated 01/6 , 2011

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the period of eligibility for promotion to the posts of ministerial grade cadre in services under the State of Uttarakhand.

Determination of Eligibility Period for Promotion to the Posts of Ministerial Grade Cadre in Services under the State of Uttarakhand

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the Determination of Eligibility Period for Promotion to the posts of Ministerial Grade Cadre in Services under the State of Uttarakhand Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force at once.

(3) Subject to Rule-2 of these rules, except for the posts under the jurisdiction of Public Service Commission, shall apply to the posts of promotion quota of ministerial grade cadre which are within the purview of the powers of the Governor to make rules.

Over riding effect:

2. These rules shall have effect on the qualification for promotion to ministerial grade posts (which require to be filled by promotion) in all subordinate offices under the control of the Government and which are outside the purview of the Public Service

Commission, but provisions of these rules shall not cover the posts of Uttarakhand Secretariat, State Assembly, Lokayukt, Public Service Commission, Office of the Advocate General of High Court and the establishments under its control.

Definitions:

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(b) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand State;

(c)**"Government"** means the Government of Uttarakhand State;

(d)**"Ministerial grade employees cadre"** means such ministerial grade employees in all subordinate offices under control of the State Government who are appointed to posts of Senior Administrative Officer, Chief Assistant, Senior Assistant and Junior Assistant;

(e)**"Subordinate posts"** means the service rendered on the posts of Junior Assistant, Upper Assistant, Chief Assistant and Administrative Officer.

Determination of qualifying service period for eligibility for promotion to the promotional posts of ministerial grade employees cadre

4. (1) Senior Administrative Officer-

By promotion from amongst the substantively appointed Administrative Officers who have completed minimum 02 years service as such on the first day of the year of recruitment or must have completed minimum 20 years service as subordinate posts, on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

(2) Administrative Officer-

By promotion form amongst the substantively appointed Chief Assistants who have completed minimum 03 years service as such

on the first day of the year of recruitment or must have completed minimum 17 years service as subordinate posts, on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

(3) Chief Assistant-
By promotion from amongst the substantively appointed Upper Assistants who have completed minimum 05 years service as such and must have completed minimum 11 years service as subordinate posts, on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

(4) Upper Assistant
By promotion from amongst the substantively appointed Junior Assistants who have completed minimum 06 years service as such on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

Change of Designation

5. Subject to the rule 2, in all departments under control of the State Government where designations are Junior Clerk, Senior Clerk, Senior Assistant, Head Clerk, Office Superintendent/ Head Clerk/ Chief Clerk-1/ Administrative Officer and Senior Administrative Officer, the same shall be read as Junior Assistant, Upper Assistant, Chief Assistant, Administrative Officer and Senior Administrative Officer respectively.

By order

(Utpal Kumar Singh)
Principal Secretary.